

प्रेषक,

जी०आर०ब्यूरो,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम,  
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-2

संख्या- दिनांक-13 जनवरी, 2005-

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को  
चिकित्सा सुविधा की अनुम्यता ।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-जी-01  
स्फर/05-47स्फर/2000, दिनांक 07 जनवरी, 2005के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश  
हुआ है कि परिवहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2053/30-2-2004-01/94,  
दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 का निम्नलिखित अंश

" प्रतिबन्ध यह होगा कि इन्हें इनके सेवाकाल में परिवहन निगम में  
नियुक्ति कार्मिकों की भाँति अनुम्यत चिकित्सा भत्ता न प्रदान किया  
गया हो ।"

को एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

2- उपयुक्त शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 उक्त सीमा तक संशोधित संभवा जाय।

भवदीय,

ह०/ =

§ जी०आर० ब्यूरो  
सचिव

संख्या-50/30-2-2005 तद्विवाक

प्रतिनिधि निम्नलिखित जो सुचनार्थ एवं आपस्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा एवं स्थापना विभाग, लखनऊ ।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, लखनऊ ।
- 3- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सार्वजनिक उपम विभाग, लखनऊ ।

आज्ञा से,

ह०/ =

§ जी०आर० ब्यूरो  
सचिव